रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—22 REGISTERED No.—DL—(N) 04/0007/2003—22

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16072022-237320
CG-DL-W-16072022-237320

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]	नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16—जुलाई 22, 2022 (आषाढ़ 25, 1944)
No. 29]	NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16—JULY 22, 2022 (ASADHA 25, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

श्रम और रोजगार मंत्रालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2022

सं. ए-12011/2/2021-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ पठित धारा 17 की उप-धाराओं (2) एवं (3) द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतत्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी [होम्योपैथी], मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)[होम्योपैथी] और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)[होम्योपैथी] के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी [होम्योपैथी], मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)[होम्योपैथी] और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)[होम्योपैथी], समूह 'क' पद, भर्ती विनियम, 2022 कहे जाएंगे।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोज्यता - ये विनियम इन विनियमों में संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

6. शिथिल करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

7. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल।	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद।	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी [होम्योपैथी]।	16*(2022) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन। होम्योपैथी संवर्ग अर्थात् चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) में पदों की कुल संख्या 16 है| इन पदों को कुल सम्मिलित संस्वीकृत संख्या के भीतर प्रचालित किया जाना है।	समूह 'क', अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 (78,800-2,09,200 रुपये) में और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	चयन	लागू नहीं।

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	रिक्तियों पर विचार किए बिना चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (67,700-2,08,700 रुपये) में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी [होम्योपैथी] ग्रेड में पाँच* वर्ष की नियमित सेवा के साथ। *टिप्पणी 1: चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा उच्चतर अध्ययन प्रयोजन से इतर कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा। टिप्पणी 2: जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :— (1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष; (2) उप चिकित्सा आयुक्त (आयुष), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; (3) अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) या निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य.	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) [होम्योपैथी]	16*(2022) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन। होम्योपैथी संवर्ग अर्थात् चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) में पदों की कुल संख्या 16 है। इन पदों को कुल सम्मिलित संस्वीकृत संख्या के भीतर प्रचालित किया जाना है।	समूह 'क', अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 (1,23,100-2,15,900 रुपये) में और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	चयन।	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	रिक्तियों पर विचार किए बिना चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 (78,800-2,09,200 रुपये) में मुख्य चिकित्सा अधिकारी [होम्योपैथी] से पदोन्नति के लिए इस ग्रेड में चार* वर्ष की नियमित सेवा। *टिप्पणी 1: चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा उच्चतर अध्ययन	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :— (1) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष;	लागू नहीं।

प्रयोजन से इतर कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा। टिप्पणी 2: जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।	(2) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; (3) अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) या निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) [होम्योपैथी]।	16*(2022) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन। होम्योपैथी संवर्ग अर्थात् चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) में पदों की कुल संख्या 16 है। इन पदों को कुल सम्मिलित संस्वीकृत संख्या के भीतर प्रचालित किया जाना है।	समूह 'क', अराजपत्रित, गैरअनुसचिवीय।-	वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14 (1,44,200-2,18,200 रुपये) में और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	चयन।	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	रिक्तियों पर विचार किए बिना चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 (1,23,100-2,15,900 रुपये) में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)[होम्योपैथी] से पदोन्नति के लिए इस ग्रेड में सात* वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर। *टिप्पणी 1: चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा उच्चतर अध्ययन प्रयोजन से इतर कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :— (1) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार —अध्यक्ष; (2) अतिरिक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार —सदस्य; (3) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य.	लागू नहीं।

मुखमीत सिंह भाटिया
महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION)

New Delhi, the 11th July 2022

No. A-12011/2/2021-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of section 97 read with sub-sections (2) and (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Chief Medical Officer [Homoeopathy], Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade)[Homoeopathy] and Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade)[Homoeopathy] in Employees' State Insurance Corporation, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Chief Medical Officer [Homoeopathy], Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade)[Homoeopathy] and Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade)[Homoeopathy], Group 'A' Posts, Recruitment Regulations, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These regulations shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these regulations.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, other qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Power to relax.- Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing and after prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. Savings. - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chief Medical Officer [Homoeopathy].	16* (2022) *Subject to variation dependent on work load. The total number of posts in the	Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) plus Non-Practicing Allowance admissible as per the Central Government orders issued from	Selection.	Not applicable.

	Homoeopathy cadre i.e. Medical Officer, Senior Medical Officer, Chief Medical Officer, Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) and Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) are 16. These posts are to be operated within the total combined sanctioned strength.		time to time.		

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion on selection basis without linkage to the vacancy.

In case of recruitment by promotion or by deputation /absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Medical Officer [Homoeopathy] in the level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five* years regular service in the grade. *Note 1: Period of extra ordinary leave granted for other than on medical certificate and for higher studies, shall be excluded from the qualifying service. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Chairman; 2. Deputy Medical Commissioner (AYUSH), Employees' State Insurance Corporation – Member; 3. Additional Commissioner (Medical Administration) or Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) [Homoeopathy].	16* (2022) *Subject to variation dependent on work load. The total number of posts in the Homoeopathy cadre i.e. Medical Officer, Senior Medical Officer, Chief Medical Officer, Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) and Chief	Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 in the pay matrix (Rs. 123100–215900) plus Non-Practicing Allowance admissible as per the Central Government orders issued	Selection.	Not applicable.

	Medical Officer (Senior Administrative Grade) are 16. These posts are to be operated within the total combined sanctioned strength.		from time to time.		

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion on selection basis without linkage to the vacancy.

(11)	(12)	(13)
Promotion from Chief Medical Officer [Homoeopathy] in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) with four* years regular service in the grade. *Note 1: Period of extra ordinary leave granted for other than on medical certificate and for higher studies, shall be excluded from the qualifying service. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Director General, Employees' State Insurance Corporation -Chairman; 2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Member; 3. Additional Commissioner (Medical Administration) or Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) [Homoeopathy].	16* (2022) *Subject to variation dependent on work load. The total number of posts in the Homoeopathy cadre i.e. Medical Officer, Senior Medical Officer, Chief Medical Officer, Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) and Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) are 16. These posts are to be operated within the total combined sanctioned strength.	Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-14 in the pay matrix (Rs. 144200 – 218200) plus Non-Practicing Allowance admissible as per the Central Government orders issued from time to time.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion on selection basis without linkage to the vacancy.

(11)	(12)	(13)
Promotion from Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade)[Homoeopathy] on completion of seven* years regular service in level-13 (Rs. 123100–215900) in pay matrix. *Note 1: Period of extra ordinary leave granted for other than on medical certificate and for higher studies, shall be excluded from the qualifying service.	Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India -Chairman;	Not applicable.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	2. Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India -Member; 3. Director General, Employees' State Insurance Corporation -Member.	

MUKHMEET SINGH BHATIA
Director General

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

JAGANATHA N ANANTHA KUMAR Digitally signed by JAGANATHAN ANANTHA KUMAR Date: 2022.07.16 02:18:16 +05'30'